

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7258.77	20.00	7278.77	12414.95	46.93	12461.88	7588.48	16.52	7605.00	12968.17	31.83	13000.00
वसूलियां	-5.24	...	-5.24
प्राप्तियां
निवल	7253.53	20.00	7273.53	12414.95	46.93	12461.88	7588.48	16.52	7605.00	12968.17	31.83	13000.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	35.64	...	35.64	37.45	1.80	39.25	40.19	1.39	41.58	40.21	1.70	41.91
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	17.84	...	17.84	21.50	0.13	21.63	18.52	0.13	18.65	19.64	0.13	19.77
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	53.48	...	53.48	58.95	1.93	60.88	58.71	1.52	60.23	59.85	1.83	61.68
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय जनजाति कल्याण कार्यक्रम												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास	20.00	...	20.00	107.52	...	107.52
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)												
4. एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)	1999.32	...	1999.32	5943.00	...	5943.00	2471.81	...	2471.81	6399.00	...	6399.00
5. राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम												
5.01 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता	109.25	...	109.25	140.00	...	140.00	150.00	...	150.00	160.00	...	160.00
5.02 अनुसूचित जनजाति के लिए उच्चम पूंजीगत निधि	...	20.00	20.00	...	30.00	30.00	30.00	30.00
5.03 प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन	117.12	...	117.12	288.49	...	288.49	143.00	...	143.00	152.32	...	152.32
5.04 जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और आयोजन	15.01	...	15.01	25.00	...	25.00	45.00	...	45.00	32.00	...	32.00
5.05 निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा	8.84	...	8.84	23.00	...	23.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
5.06 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	145.00	...	145.00	145.00	...	145.00	230.00	...	230.00	165.00	...	165.00
5.07 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.08 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	10.00	...	10.00	25.00	...	25.00
जोड़- राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम	399.22	20.00	419.22	625.49	30.00	655.49	600.00	...	600.00	560.32	30.00	590.32
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2398.54	20.00	2418.54	6588.49	30.00	6618.49	3071.81	...	3071.81	7066.84	30.00	7096.84
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
6. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	15.00	15.00	...	15.00	15.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम												
7. वास्तविक वसूली	-5.24	...	-5.24
8. अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)												
8.01 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	357.30	...	357.30	411.63	...	411.63	411.63	...	411.63	440.36	...	440.36
8.02 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	1965.00	...	1965.00	1970.77	...	1970.77	2371.01	...	2371.01	2432.68	...	2432.68
8.03 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	12.40	...	12.40	118.64	...	118.64	50.00	...	50.00	111.00	...	111.00
8.04 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	137.18	...	137.18	256.14	...	256.14	20.00	...	20.00
8.05 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसएस)	1354.37	...	1354.37
8.06 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	1485.00	...	1485.00	300.00	...	300.00	1000.00	...	1000.00
8.07 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक लागत	4.00	...	4.00	53.22	...	53.22	53.22	...	53.22	55.96	...	55.96
8.08 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	100.00	...	100.00	240.00	...	240.00
जोड़- अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)	3830.25	...	3830.25	4295.40	...	4295.40	3285.86	...	3285.86	4300.00	...	4300.00
जोड़-अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम	3825.01	...	3825.01	4295.40	...	4295.40	3285.86	...	3285.86	4300.00	...	4300.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3825.01	...	3825.01	4295.40	...	4295.40	3285.86	...	3285.86	4300.00	...	4300.00
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान												
9. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान (भारित)	976.50	...	976.50	1472.10	...	1472.10	1172.10	...	1172.10	1541.47	...	1541.47
10. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	976.50	...	976.50	1472.11	...	1472.11	1172.10	...	1172.10	1541.48	...	1541.48
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	976.50	...	976.50	1472.11	...	1472.11	1172.10	...	1172.10	1541.48	...	1541.48
कुल जोड़	7253.53	20.00	7273.53	12414.95	46.93	12461.88	7588.48	16.52	7605.00	12968.17	31.83	13000.00
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2437.38	...	2437.38	6215.14	...	6215.14	2959.43	...	2959.43	6611.69	...	6611.69
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	35.64	...	35.64	37.45	...	37.45	40.19	...	40.19	40.21	...	40.21
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	20.00	20.00	...	45.00	45.00	...	15.00	15.00	...	30.00	30.00
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.93	1.93	...	1.52	1.52	...	1.83	1.83
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2473.02	20.00	2493.02	6252.59	46.93	6299.52	2999.62	16.52	3016.14	6651.90	31.83	6683.73
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1256.45	...	1256.45	761.45	...	761.45	1303.85	...	1303.85
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4771.96	...	4771.96	4891.89	...	4891.89	3807.39	...	3807.39	4993.40	...	4993.40
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	8.55	...	8.55	14.02	...	14.02	20.02	...	20.02	19.02	...	19.02
जोड़-अन्य	4780.51	...	4780.51	6162.36	...	6162.36	4588.86	...	4588.86	6316.27	...	6316.27
कुल जोड़	7253.53	20.00	7273.53	12414.95	46.93	12461.88	7588.48	16.52	7605.00	12968.17	31.83	13000.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
जोड़	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास:** "पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास" योजना का उद्देश्य कारीगरों की पहचान करना और उनके उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना, पूर्वोत्तर उत्पादों की बिक्री को मुख्यधारा में लाना और बड़े पैमाने पर बिक्री करना तथा पूर्वोत्तर की जनजातियों की आय में वृद्धि व समुदाय के लिए सालभर की आजीविका की सुविधा करना है।

4. **एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस):** देश में सभी क्षेत्रों और पर्यावासों (हैबीटेट) में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में अपना महत्व रखते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो सकें बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

5.01. **अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता:** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों को जीआईए भी दिया जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले आदिवासी क्षेत्रों में अंतराल को भरने के लिए, सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को योजना 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया गया है।

5.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि:** सामाजिक क्षेत्र की पहल के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि की योजना का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हैं। इस योजना का उद्देश्य एसटी उद्यमियों द्वारा नए ऊष्मायन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करती है, जो समाज के लिए धन और मूल्य पैदा करेगा और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.03. **प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन:** प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना का उद्देश्य जनजातीय आजीविका में परिवर्तनकारी रूपान्तरण लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनजातीय उद्यमों की क्षमता का उपयोग करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि/फूलों की खेती/बागवानी/औषधीय और सुमंगलित पौधों/अन्य के आधार पर गैर-एमएफपी गतिविधियों को भी शुरू करके आदिवासियों के लिए साल भर आय पैदा करने के अवसर सुनिश्चित करना होगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.04. **जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और आयोजन:** यह योजना उन राज्यों में लागू की गई है जहां अनुसूची V वाले क्षेत्र हैं। आदिवासियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित आदिवासी उत्सवों के आयोजन और अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया जाता है। देश में आदिवासियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए उल्लेखनीय केंद्रों को शामिल करने के लिए मान्यता दी गई है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.05. **निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा:** इस मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.06. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में उच्च अध्ययन करने के लिए फेलोशिप और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अर्थात् एम.फिल और पीएचडी के साथ-साथ राष्ट्रीय फेलोशिप और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.07. **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना:** विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए चयनित एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.08. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के लिए सं. अ. 2023-24 में 10.00 करोड़ रुपये और व.अ. 2024-25 में 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

8.01. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य एसटी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंबरेला स्कीम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति का उद्देश्य एसटी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंबरेला स्कीम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.03. **जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता:** जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी प्रथाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन, पंचायती राज संस्थान के (पीआरआई) प्रतिनिधियों, एफआरए, पेसा, संवैधानिक प्रावधानों संबंधी अधिकारियों, शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंबरेला स्कीम कार्यक्रम के तहत लाया गया है।

8.04. **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास:** अनुसूचित जनजातियों की पिछड़ी आबादी के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों हेतु योजना के तहत प्रावधान रखा गया है। जीआईए संबंधित राज्यों को उनकी संस्कृति और विरासत

को बनाए रखते हुए व्यापक तरीके से पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए दिया जाता है। 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंबरैला स्कीम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.05. जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए टू टीएसएस): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप योजना (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के माध्यम से सहायता अनुदान प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक है। योजना के तहत मंत्रालय राज्यों को रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसंरचना के काम को लागू करने के लिए किया जाता है। टीएसएस को एससीए विस्तारित करने का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अंबरैला स्कीम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.06. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई): जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए को टीएसएस) की योजना पूर्व में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करती थी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन जैसे क्षेत्रों में अंतराल को पाटने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों सहित जनजातीय आबादी अधिसूचित की है।

8.08. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): इस योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के लिए सं. अ. 2023-24 में 100.00 करोड़ रुपये और ब.अ. 2024-25 में 240.00 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

9. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान (भारित): इस प्रावधान के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले राज्यों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बाकी राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है।

10. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान: यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के उप-नियम (क) के तहत असम सरकार को अनुदान के लिए है।